

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -128/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

शांति देवी बनाम सोमनाथ मुण्डा

17.02.23

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

शांति देवी पति-स्व० डोम मुण्डा, ग्राम-कनकटटा,
पो०-सताकी, थाना-अनगड़ा, अंचल-राहे,
जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-गृहिणी।

क्रेता का नाम एवं पता -

सोमनाथ मुण्डा पिता-राधा मुण्डा, ग्राम-पुरनाडीह,
पो०-सताकी, थाना-अनगड़ा, अंचल-राहे,
जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-06/12/2022 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता सोमनाथ मुण्डा पिता-राधा मुण्डा, ग्राम-पुरनाडीह, पो०-सताकी, थाना-अनगड़ा, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
पुरनाडीह	अनगड़ा/36	99	350	04 डी० चौहददी:- उ०-नीज क्रेता। द०-सावन मुण्डा। पू०-पंचानन मुण्डा। प०-चैतन मुण्डा।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-36(ii) दिनांक-31/01/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत लखीन मुण्डा पिता-बीरबल मुण्डा वो कन्हाई मुण्डा पिता-गोपाल मुण्डा वो वीसम मुण्डा पिता-सोमल मुण्डा के नाम से दर्ज है।

(2) खतियानी रैयत/पंजी-II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध ससुर-पौत्रवधु का है।

(3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम छुटवा मुण्डा वगै० पे०-लखीन मुण्डा है। तथा रैयत के पास रकबा-8.89 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2022-23 तक वसूली गयी है।

(5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध ससुर-पौत्रवधु का है। तथा खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी किरम की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-8.84 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे हैं।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जाति समुदाय के अन्तर्गत आते हैं।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत विक्रेता शांति देवी पति-स्व० डोम मुण्डा, ग्राम-कनकटटा, पो०-सताकी, थाना-अनगड़ा, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-गृहिणी, को क्रेता सोमनाथ मुण्डा पिता-राधा मुण्डा, ग्राम-पुरनाडीह, पो०-सताकी, थाना-अनगड़ा, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-06/12/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता शांति देवी पति-स्व० डोम मुण्डा, ग्राम-कनकटटा, पो०-सताकी, थाना-अनगड़ा, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-गृहिणी, को क्रेता सोमनाथ मुण्डा पिता-राधा मुण्डा, ग्राम-पुरनाडीह, पो०-सताकी, थाना-अनगड़ा, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)a के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
पुरनाडीह	अनगड़ा/36	99	350	04 डी० चौहद्दी:- उ०-नीज क्रेता। द०-सावन मुण्डा। पू०-पंचानन मुण्डा। प०-चैतन मुण्डा।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)